

**डिक्री ब मुकदमें इब्तादाई**  
(ऑर्डर 20, रूल 6-7 जाबता दीवानी)  
(Civil Procedure Code, Appendlax 'D'-1)

अज अदालत सहायक कलक्टर, चौहटन मुकाम चौहटन  
व इजलास श्री भागीरथ राम II, आर.ए.एस.

अनवान :-

वादीगण - 1.पूराराम 2.चिनाराम 3.हेमाराम पि.राजूराम  
जाति जाट निवासी दीनगढ़, तहसील धनाऊ

बनाम

प्रतिवादीगण - 1.गंगा 2.दौला पि.जैता 3.भेरा पुत्र चूना 4.लक्ष्मी पत्नि चूना 5.हेमा 6.पदमा पि.बुधरा  
7.डालू पुत्र जुगता 8.गौरा पत्नि जुगता 9.दाना पुत्र नन्दराम 10.खेतू पत्नि अलसा  
11.पूरा 12.गजा 13.पदमा पि.अलसा 14.हुकमा 15.मूला 16.गजा पि.पूनमा 17.मांगीदेवी  
पत्नि गजाराम, जातियान जाट, निवासी दीनगढ़, तह.धनाऊ।  
18.शाखा प्रबन्धक राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा चौहटन  
19.शाखा प्रबन्धक एस.बी.बी.जे., चौहटन  
20.तहसीलदार धनाऊ

**वाद अर्न्तगत धारा 88, 53, 188 RT Act.**

**मुकदमा नं. 198/2017**

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू.ब.रू. न्यायालय बहाजरी श्री फताराम गोदारा एड. मिनजानिब मुदाई व श्री ठाकराराम (प्रतिवादी सं. 7 व 8) एड. मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादी का वाद स्वीकार किया जाकर मौजा दीनगढ़, पटवार क्षेत्र आलमसर, तहसील चौहटन में खसरा सं. 78 रकबा 18.12 बीघा, खसरा सं. 95 रकबा 00.08 बीघा, खसरा सं. 97 रकबा 46.02 बीघा, खसरा सं. 96 रकबा 220.10 बीघा का आया हुआ है। उक्त विवादित खसरो की भूमि सारणी में वर्णित हिस्सानुसार पक्षकारों के मध्य निम्नानुसार विभाजन कर पृथक पृथक खाते कायम किये जाते हैं। लगातार शेष पृष्ठ पर..... बीज ..... मबलिंग ..... बाबत ..... पर्चा इस मुकदमे के मय सुद व शरह ..... फीसदी सालाना आज ही तारीख से तारीख व सूलप्रार्थी तक ..... को अदा करे।  
वसूली मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 28.06.2023 को जारी की गई।



दस्तखत.....  
ओहदा .....

मुदाई	रूपया	पै	मुदायलाह	रूपया	पै
स्टाम्प अर्चोदिया स्टाम्प वक्मवतनामा स्टाम्प अर्ह पद्मनामा वकील खर्चा गवाहान फीस कमीशनर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक			मुदायलाह स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वर्जी महनताना वकील पर खर्चा गवाहान फीस कमीशनर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक	सहायक कलक्टर (SDO) चौहटन	
मीजान					

नोट :- इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा दर दो फरीकेन का चाहे बिकरी के जरिये दिलावे ..... करना।

क्र. सं.	खातेदार का नाम मय वल्लिद्यत सकुनत	ग्राम	खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)	किस्म	लगान	बरंग
1	पूराराम, चिमाराम, हेमाराम पि. राजूराम, कौम जाट, सा.देह खातेदार	दीनगढ़	78	00.4301	बा.सो.	0.13	आसमानी
			97	01.0660	बा.सो.	0.33	
			96	08.8545	बा.सो.	2.75	
		योग	3	10.3506	बा.सो.	3.21	आसमानी
2	डालू पुत्र जुगता, गैरों पत्नि जुगता, कौम जाट, सा.देह खातेदार	दीनगढ़	78	00.4302	बा.सो.	0.14	नारंगी
			97	01.0660	बा.सो.	0.33	
			96	05.0990	बा.सो.	1.59	
		योग	3	06.5952	बा.सो.	2.06	नारंगी
3	गंगा, दौला पि.जेता, भेरा पुत्र चूना, लक्ष्मी पत्नि चूना, हेमा, पदमा पि.बुधरा, वनू पत्नि बुधरा (फौत के वारिशान), दाना पुत्र नेना उर्फ नन्दराम, खेतु पत्नि अलसा, पूरा, गजा, पदमा पि. अलसा, हुकमा, मूला, गजा पि. पूनमा, मांगीदेवी पत्नि गजाराम, कौम जाट, सा.देह खातेदार, रहन :- दाना मूला, हुकमा का हिस्सा जयपुर थार ग्रामीण बैंक चौहटन	दीनगढ़	78	02.1506	बा.सो.	0.66	पीला
			95	00.0647	गैमुडा	0.00	
			97	05.3304	बा.सो.	1.65	
			96	21.7397	बा.सो.	6.72	
		योग	4	29.2854	—	9.03	पीला

उपरोक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार धनाऊ को लिखा जावे। फर्द मौका व नक्शा डिक्री का भाग रहेंगे। पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकरान अपना अपना वहन करेंगे।



(भागीरथ-राम II)  
 सहायक कलक्टर एवं  
 उपखण्ड अधिकारी  
 चौहटन  
 सहायक कलक्टर  
 (SDO) चौहटन

**न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर**

राजस्व वाद सं. 198/2017

पीठासीन अधिकारी - श्री भागीरथ राम II, आर.ए.एस

अनवान

वादीगण - 1.पूराराम 2.चिमाराम 3.हेमाराम पि.राजूराम  
जाति जाट निवासी दीनगढ़, तहसील धनाऊ

बनाम

प्रतिवादीगण - 1.गंगा 2.दौला पि.जैता 3.भेरा पुत्र चूना 4.लक्ष्मी पत्नि चूना 5.हेमा 6.पदमा पि.बुधरा  
7.डालू पुत्र जुगता 8.गैरा पत्नि जुगता 9.दाना पुत्र नन्दराम 10.खेतू पत्नि अलसा  
11.पूरा 12.गजा 13.पदमा पि.अलसा 14.हुकमा 15.मूला 16.गजा पि.पूनमा 17.मांगीदेवी  
पत्नि गजाराम, जातियान जाट, निवासी दीनगढ़, तह.धनाऊ।  
18.शाखा प्रबन्धक राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा चौहटन  
19.शाखा प्रबन्धक एस.बी.बी.जे., चौहटन  
20.तहसीलदार धनाऊ

अधिवक्तागण - वादीगण वकील - श्री फताराम गोदार  
प्रतिवादीगण वकील - श्री ठाकराराम (प्रतिवादी सं. 7 व 8)

निर्णय


वाद अन्तर्गत धारा 88,53,188 RT Act.

दिनांक :- 28.06.2023

न्यायालय द्वारा जारी प्राथमिक डिक्री दिनांक 20.06.2022 की पालना में तहसीलदार धनाऊ से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुआ, जो शामिल पत्रावली किया गया। वादीगण अधिवक्ता के प्रार्थना पत्र पर पत्रावली सुनवाई हेतु तलब हुई। वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 7 व 8 के अधिवक्ता उपस्थित हुए। तहसीलदार धनाऊ द्वारा पेश विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

उपस्थित अधिवक्ताओं ने अपनी बहस में तहसीलदार धनाऊ से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया तथा निवेदन किया कि विभाजन प्रस्ताव अनुसार फैसला किया जावे।

उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया। उपस्थित अधिवक्ताओं को तहसीलदार धनाऊ से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव स्वीकार है, इसलिए न्यायालय के मतानुसार तहसीलदार धनाऊ से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव स्वीकार योग्य है। जिससे स्पष्ट होता है कि वादीगण का वाद स्वीकार करने योग्य है।

  
सहायक कलक्टर  
(SDO) चौहटन



अतः न्यायाहित में तहसीलदार धनाऊ द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव अनुसार मौजा दीनगढ़, पटवार क्षेत्र आलमसर, तहसील चौहटन में खसरा सं. 78 रकबा 18.12 बीघा, खसरा सं. 95 रकबा 00.08 बीघा, खसरा सं. 97 रकबा 46.02 बीघा, खसरा सं. 96 रकबा 220.10 बीघा के आये हुए है। उक्त विवादित भूमि सारणी में वर्णित हिस्सानुसार पक्षकारों के मध्य निम्नानुसार विभाजन कर पृथक पृथक खाते कायम किये जाते है।

क्र. सं.	खातेदार का नाम मय वल्लिदयत सकुनत	ग्राम	खसरा नं.	रकबा (हेक्टयर में)	किस्म	लगान	बरंग
1	पूराराम, धिमाराम, हेमाराम पि. राजूराम, कौम जाट, सा.देह खातेदार	दीनगढ़	78	00.4301	बा.सो.	0.13	आसमानी
			97	01.0660	बा.सो.	0.33	
			96	08.8545	बा.सो.	2.75	
		योग	3	10.3506	बा.सो.	3.21	आसमानी
2	डालू पुत्र जुगता, गैरों पत्नि जुगता, कौम जाट, सा.देह खातेदार	दीनगढ़	78	00.4302	बा.सो.	0.14	नारंगी
			97	01.0660	बा.सो.	0.33	
			96	05.0990	बा.सो.	1.59	
		योग	3	06.5952	बा.सो.	2.06	नारंगी
3	गंगा, दौला पि.जेता, भेरा पुत्र चूना, लक्ष्मी पत्नि चूना, हेमा, पदमा पि.बुधरा, वनू पत्नि बुधरा (फौत के वारिश्मान), दाना पुत्र नेना उर्फ नन्दराम, खेतु पत्नि अलसा, पूरा, गजा, पदमा पि. अलसा, हुकमा, मूला, गजा पि. पूनमा, मांगीदेवी पत्नि गजाराम, कौम जाट, सा.देह खातेदार, रहन :- दाना मूला, हुकमा का हिस्सा जयपुर थार ग्रामीण बैंक चौहटन	दीनगढ़	78	02.1506	बा.सो.	0.66	पीला
			95	00.0647	गैमुडा	0.00	
			97	05.3304	बा.सो.	1.65	
			96	21.7397	बा.सो.	6.72	
		योग	4	29.2854	—	9.03	पीला

उपरोक्तानुसार राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार धनाऊ को लिखा जावे। मौका रिपोर्ट (विभाजन प्रस्ताव) मय नक्शा निर्णय का भाग रहेंगे। पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 28.06.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(भागीरथ राम II)  
सहायक कलक्टर  
एवं उपखण्ड अधिकारी  
चौहटन  
सहायक कलक्टर  
1 (800) चौहटन

